न्यायालय जिला कलक्टर झुंझुनूं

पीठासीन अधिकारीः डॉ0 अरूण गर्ग
(आई.ए.एस.)

अपील संख्या : 320/2025

1. सत्यवीर पुत्र नौरंगराम जाति जाट निवासी तहसील चिड़ावा जिला झुन्झुनूं (राज.)
2. कर्मवीर पुत्र नौरंगराम जाति जाट निवासी तहसील चिड़ावा जिला झुन्झुनूं (राज.)
3. दीपेन्द्र सिंह पुत्र जयसिंह जाति जाट निवासी तहसील चिड़ावा जिला झुन्झुनूं (राज.)
4. गुरूदयाल पुत्र भानाराम जाति जाट निवासी तहसील चिड़ावा जिला झुन्झुनूं (राज.)

– अपीलान्ट्स

बनाम

1. चिड़िया देवी पत्नी रामजीलाल वर्मा जाति जाट निवासी अलीपुर तहसील चिड़ावा जिला झुन्झुनूं । (राज.)
2. कपिल पुत्र नन्दलाल जाति जाट निवासी अलीपुर तहसील चिड़ावा जिला झुन्झुनूं (राज.)।
3. संदीप पुत्र नन्दलाल जाति जाट निवासी अलीपुर तहसील चिड़ावा जिला झुन्झुनूं (राज.)।

– रेस्पोडेन्ट्स

– – –

अपील अन्तर्गत धारा 225 आर.टी. एक्ट 1955 अपील खिलाफ निर्णय बअदालत तहसीलदार चिड़ावा जिला झुन्झुनूं मुकदमा उनवानी चिड़िया देवी बनाम दीपेन्द्र वगैरह मु.न. 03/2025 प्रार्थना पत्र अ. धारा 251 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 निर्णय दिनांक 13.10.2025

– – –

उपस्थितः–

1. श्री विजयपाल, अधिवक्ता–अपीलान्टस की ओर से।
2. श्री जुल्फिकार, अधिवक्ता– रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की ओर से।
3. श्री अशोक लाम्बा, अधिवक्ता– रेस्पोडेन्ट संख्या 2 व 3 की ओर से।

आदेश

दिनांकः– 16.03.2026

प्रस्तुत अपील तहसीलदार चिड़ावा के आदेश दिनांक 13.10.2025 के विरूद्ध मय प्रार्थना पत्र स्थगन के प्रस्तुत की गई है। सक्षेप में तथ्य अपील के निम्नप्रकार से है कि अदालत मातहत द्वारा पारित आदेश जैर बहस खिलाफ कानून, न्याय व पत्रावली होने से खारिज होने योग्य है। निर्णय जैर बहस स्पीकिंग नहीं है। अपीलान्ट्स के तथाकथित अतिक्रमण की लम्बाई–चौड़ाई दर्ज नहीं है। तथाकथित अतिक्रमण कितनी साल पुराना है दर्ज नहीं है। तथाकथित अतिक्रमण अपीलान्ट्स ने किस–किस खसरा न. के सहारे किया है दर्ज नहीं है। तथाकथित पटवारी रिपोर्ट एकपक्षीय है। अपीलान्ट्स की खातेदारी के खेतों एवं खेत खसरा न. 363 का सीमाज्ञान/नपती सक्षम राजस्व टीम द्वारा कब की गई दर्ज नहीं है। नाप का स्पष्ट उल्लेख नहीं है। तथाकथित नपती रिपोर्ट पटवारी हल्का दिनांक 05.06.2025 में वर्णित राजस्व टीम की नपती रिपोर्ट/सीमाज्ञान पत्रावली पर मौजूद नहीं है। ग्राम वासियान एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा प्रस्तुत तथाकथित प्रार्थना पत्र अदालत मातहत की पत्रावली पर नहीं है। खेत खसरा न. 363 सरहद मौजा अलीपुर के खातेदार प्रहलाद सिंह को पक्षकार नहीं बनाया है। इस प्रकार निर्णय जैर बहस अपूर्ण, अस्पष्ट व बिना किसी आधार के होने के कारण काबिले खारिज है। अदालत मातहत ने धारा 251 आर.टी. एक्ट 1955 के प्रावधानों को बिना समझे निर्णय पारित कर तथ्य व विधि की भूल की है। प्रकरण में ऐसा कोई तथ्य स्पष्ट नहीं है कि किसी खातेदार के सुखाचार/अधिकार में बाधा कारित की गई हो। पटवारी हल्का की एकपक्षीय रिपोर्ट से यह साबित है कि जमीन खसरा नं. 363/जो कि प्रहलाद सिंह की खातेदारी की है उसमें कुछ स्थान पर मौके पर नक्शासीट के अंकन के मुताबिक सड़क बनी हुई है तथा शेष स्थान पर सड़क नक्शा के अंकन के

जिला कलक्टर झुन्झुनूं

मुताबिक नहीं होकर अन्य खातेदारी के खेतों में से बनी हुई है और सड़क चालू है। पटवारी हल्का की रिपोर्ट में यह स्पष्ट रूप से दर्ज है कि खसरा न. 363 का आंशिक भाग वैकल्पिक सड़क बन जाने से काम में नहीं आने से काफी सालों से बन्द है। उक्त दर्ज तथ्यों से यह साबित है कि मौके पर रास्ते के उपयोग उपभोग में कोई रूकावट अथवा बाधा कारित की हुई नहीं है। इसके बावजूद भी अदालत मातहत ने तथाकथित रास्ते से बेदखल करने का निर्णय गलत पारित किया है। आराजी हाल खसरा न. 363 खातेदारी की भूमि है और राजस्व रिकॉर्ड में उक्त भूमि के सम्पूर्ण रकबे की किस्म गै.मु. रास्ता गलत दर्ज की हुई है। मौके पर सड़क वर्तमान भू–प्रबन्ध से पूर्व की बनी हुई है। खसरा न. 363 के सम्पूर्ण भू–भाग पर सड़क/रास्ता विद्यमान नहीं होना पटवारी रिपोर्ट से साबित हैं पटवारी ने रिपोर्ट में भी यह स्पष्ट नहीं किया है कि खसरा न. 363 के कितने क्षेत्रफल की किस्म गै.मु. रास्ता है तथा कितने क्षेत्रफल पर सड़क/रास्ता नहीं है। कानून से किसी खातेदार की खातेदारी की भूमि जिसकी किस्म राजस्व रिकॉर्ड में गै.मु. रास्ता हो परन्तु वास्तविक रूप से वह मौके पर रास्ते के काम में नहीं आ रही है और किसी सक्षम राजकीय एजेन्सी द्वारा उक्त गै. मु. रास्ते की किस्म की भूमि के पास अन्य स्थान से सड़क/रास्ता कायम कर वैकल्पिक सुविधा प्रदान की जा चुकी है और उक्त सुविधा बदस्तूर चालू है तो उस सूरत में खातेदारी की कृषि भूमि में किस्म गै.मु. रास्ता दर्ज होने पर उसे बेवजह बिना आवश्यकता के खाली नहीं करवाया जा सकता। अदालत मातहत ने विधि को अनदेखा कर निर्णय पारित किया है। यह कि अदालत मातहत ने पटवारी हल्का की अपूर्ण, अस्पष्ट व विरोधाभाषी रिपोर्ट को सही मानकर निर्णय पारित करने में कानूनी गलती की है। पटवारी हल्का की रिपोर्ट में कहीं भी यह दर्ज नहीं है कि रास्ता के आवागमन में कोई बाधा अथवा रूकावट हो रही है। रिपोर्ट में यह भी स्पष्ट रूप से दर्ज नहीं है कि राजस्व नक्शा के मुताबिक जमीन ख. नं. 363 के अलावा किस–किस खेत में से सड़क निर्मित होकर चालु है। अदालत मातहत ने बिना किसी आधार के बिना वाद कारण के मनमर्जी से गलत निर्णय पारित किया है जो काबिले खारीज है। आराजी हाल खाता संख्या 115 सरहद मौजा अलीपुर में अपीलान्ट दीपेन्द्र सिंह के दादा श्योनारायण सहखातेदार है तथा हाल खाता संख्या 305 सरहद मौजा अलीपुर में अपीलान्ट संख्या 1 व 2 तथा अपीलान्ट संख्या 4 के पिता भानाराम उर्फ भींवाराम सहखातेदार है। अपीलान्टस की उपरोक्त सहखातेदारी की भूमि में से ख. नं. 363 की आराजी स्थित है। मौके पर रास्ता/सड़क अपीलान्टस की सहखातेदारी की भूमि में बनी हुई है जो सुचारू रूप से आवागमन योग्य है। मौके पर वास्तविक रूप से जमीन ख. नं. 363 के कुछ भाग पर पुख्ता सड़क बनी हुई है और शेष भाग सड़क/रास्ता योग्य नहीं है और ना ही सड़क/रास्ता के काम में आ रही है। मौके पर रास्ता/सड़क प्रचलित स्थान पर बना हुआ है और प्रचलित रास्ते में कोई अवरोध नहीं है। मौके पर करीब 40–50 वर्ष से पुख्ता सड़क के रूप में रास्ता चालू है। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 चिड़िया देवी ने एक झुठी शिकायत खसरा नम्बर 363 के संबंध में महज इसलिए की है कि उक्त खसरा नम्बर का सम्पूर्ण भू भाग की किस्म राजस्व रिकार्ड में गैर मुमकिन रास्ता दर्ज है। जबकि वास्तविक रूप से खसरा नम्बर 363 का समस्त भू–भाग की किस्म मौके पर गैर मुमकीन रास्ता नहीं है। अतः अपील अपीलान्ट मंजूर फरमाई जाकर अदालत मातहत द्वारा पारित निर्णय दिनांक 13.10.2025 को अपास्त किया जावें।

बहस सुनी गई। वकील अपीलान्टस ने बहस के दौरान अपील में वर्णित तथ्यों को दौहराते हुये कथन किया कि अपीलान्ट्स के तथाकथित अतिक्रमण की लम्बाई–चौड़ाई दर्ज नहीं है। तथाकथित अतिक्रमण कितनी साल पुराना है दर्ज नहीं है। तथाकथित अतिक्रमण अपीलान्ट्स ने किस–किस खसरा न. के सहारे किया है दर्ज नहीं है। तथाकथित पटवारी रिपोर्ट एकपक्षीय है। अपीलान्ट्स की खातेदारी के खेतों एवं खेत खसरा न. 363 का सीमाज्ञान/नपती सक्षम राजस्व टीम द्वारा कब की गई दर्ज नहीं है। नाप का स्पष्ट उल्लेख नहीं है। तथाकथित नपती रिपोर्ट पटवारी हल्का दिनांक 05.06.2025 में वर्णित राजस्व टीम की नपती रिपोर्ट/सीमाज्ञान पत्रावली पर मौजूद नहीं है। ग्राम वासियान एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा प्रस्तुत तथाकथित प्रार्थना पत्र अदालत मातहत की पत्रावली पर नहीं है। खेत खसरा न. 363 सरहद मौजा अलीपुर के खातेदार प्रहलाद सिंह को पक्षकार नहीं बनाया है। इस प्रकार निर्णय जैर बहस अपूर्ण, अस्पष्ट व बिना किसी आधार के होने के कारण काबिले खारिज है। अदालत मातहत ने धारा 251 आर.टी. एक्ट 1955 के प्रावधानों को बिना समझे निर्णय पारित कर तथ्य व विधि की भूल की है। प्रकरण में ऐसा कोई तथ्य स्पष्ट नहीं है कि किसी खातेदार के सुखाचार/अधिकार में

जिला कलक्टर झुन्झुनूं

बाधा कारित की गई हो। पटवारी हल्का की एकपक्षीय रिपोर्ट से यह साबित है कि जमीन खसरा नं. 363 जो कि प्रहलाद सिंह की खातेदारी की है उसमें कुछ स्थान पर मौके पर नक्शासीट के अंकन के मुताबिक सड़क बनी हुई है तथा शेष स्थान पर सड़क नक्शा के अंकन के मुताबिक नहीं होकर अन्य खातेदारी के खेतों में से बनी हुई है और सड़क चालू है। पटवारी हल्का की रिपोर्ट में यह स्पष्ट रूप से दर्ज है कि खसरा न. 363 का आंशिक भाग वैकल्पिक सड़क बन जाने से काम में नहीं आने से काफी सालों से बन्द है। उक्त दर्ज तथ्यों से यह साबित है कि मौके पर रास्ते के उपयोग उपभोग में कोई रूकावट अथवा बाधा कारित की हुई नहीं है। इसके बावजूद भी अदालत मातहत ने तथाकथित रास्ते से बेदखल करने का निर्णय गलत पारित किया है। आराजी हाल खसरा न. 363 खातेदारी की भूमि है और राजस्व रिकॉर्ड में उक्त भूमि के सम्पूर्ण रकबे की किस्म गै.मु. रास्ता गलत दर्ज की हुई है। मौके पर सड़क वर्तमान भू–प्रबन्ध से पूर्व की बनी हुई है। खसरा न. 363 के सम्पूर्ण भू–भाग पर सड़क/रास्ता विद्यमान नहीं होना पटवारी रिपोर्ट से साबित हैं पटवारी ने रिपोर्ट में भी यह स्पष्ट नहीं किया है कि खसरा न. 363 के कितने क्षेत्रफल की किस्म गै.मु. रास्ता है तथा कितने क्षेत्रफल पर सड़क/रास्ता नहीं है। कानून से किसी खातेदार की खातेदारी की भूमि जिसकी किस्म राजस्व रिकॉर्ड में गै.मु. रास्ता हो परन्तु वास्तविक रूप से वह मौके पर रास्ते के काम में नहीं आ रही है और किसी सक्षम राजकीय एजेन्सी द्वारा उक्त गै. मु. रास्ते की किस्म की भूमि के पास अन्य स्थान से सड़क/रास्ता कायम कर वैकल्पिक सुविधा प्रदान की जा चुकी है और उक्त सुविधा बदस्तूर चालू है तो उस सूरत में खातेदारी की कृषि भूमि में किस्म गै.मु. रास्ता दर्ज होने पर उसे बेवजह बिना आवश्यकता के खाली नहीं करवाया जा सकता। अदालत मातहत ने विधि को अनदेखा कर निर्णय पारित किया है। यह कि अदालत मातहत ने पटवारी हल्का की अपूर्ण, अस्पष्ट व विरोधाभाषी रिपोर्ट को सही मानकर निर्णय पारित करने में कानूनी गलती की है। पटवारी हल्का की रिपोर्ट में कहीं भी यह दर्ज नहीं है कि रास्ता के आवागमन में कोई बाधा अथवा रूकावट हो रही है। रिपोर्ट में यह भी स्पष्ट रूप से दर्ज नहीं है कि राजस्व नक्शा के मुताबिक जमीन ख. नं. 363 के अलावा किस–किस खेत में से सड़क निर्मित होकर चालु है। अदालत मातहत ने बिना किसी आधार के बिना वाद कारण के मनमर्जी से गलत निर्णय पारित किया है जो काबिले खारीज है। आराजी हाल खाता संख्या 115 सरहद मौजा अलीपुर में अपीलान्ट दीपेन्द्र सिंह के दादा श्योनारायण सहखातेदार है तथा हाल खाता संख्या 305 सरहद मौजा अलीपुर में अपीलान्ट संख्या 1 व 2 तथा अपीलान्ट संख्या 4 के पिता भानाराम उर्फ भींवाराम सहखातेदार है। अपीलान्टस की उपरोक्त सहखातेदारी की भूमि में से ख. नं. 363 की आराजी स्थित है। मौके पर रास्ता/सड़क अपीलान्टस की सहखातेदारी की भूमि में बनी हुई है जो सुचारू रूप से आवागमन योग्य है। मौके पर वास्तविक रूप से जमीन ख. नं. 363 के कुछ भाग पर पुख्ता सड़क बनी हुई है और शेष भाग सड़क/रास्ता योग्य नहीं है और ना ही सड़क/रास्ता के काम में आ रही है। मौके पर रास्ता/सड़क प्रचलित स्थान पर बना हुआ है और प्रचलित रास्ते में कोई अवरोध नहीं है। मौके पर करीब 40–50 वर्ष से पुख्ता सड़क के रूप में रास्ता चालू है। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 चिड़िया देवी ने एक झुठी शिकायत खसरा नम्बर 363 के संबंध में महज इसलिए की है कि उक्त खसरा नम्बर का सम्पूर्ण भू भाग की किस्म राजस्व रिकार्ड में गैर मुमकिन रास्ता दर्ज है। जबकि वास्तविक रूप से खसरा नम्बर 363 का समस्त भू–भाग की किस्म मौके पर गैर मुमकीन रास्ता नहीं है। अतः अपील अपीलान्ट मंजूर फरमाई जाकर अदालत मातहत द्वारा पारित निर्णय दिनांक 13.10.2025 को अपास्त किया जावें।

वकील रेस्पोडेन्ट संख्या 2 व 3 ने बहस के दौरान वकील अपीलान्ट के कथनों का विरोध किया तथा तर्क दिया कि अपीलान्टस ने भूमि खसरा नम्बर 363 गैर मुमकीन रास्ते के आंशिक भाग पर पक्का निर्माण, तारबंदी व चारदीवारी कर रास्ता अवरूद्ध कर रखा है। जिसके खुलवाने के आदेश अदालत मातहत द्वारा दिये गये है। जिसमें कोई त्रुटि नहीं है। अदालत मातहत द्वारा नियमानुसार आदेश पारित किये है। अपीलान्टस की अपील निराधार तथ्यों पर आधारित है। अतः अपील अपीलान्टस खारिज फरमाई जावें।

वकील रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने बहस के दौरान वकील रेस्पोडेन्ट संख्या 2 के कथनों का समर्थन करते हुये अपील अपीलान्टस खारिज किये जाने का कथन किया।

जिला कलक्टर झुन्झुनूं

हमने बहस उभय पक्षकारान पर बगौर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का भी अवलोकन किया। प्रकरण में अदालत मातहत ने अपीलान्ट को ग्राम अपीलपुर स्थित भूमि खसरा नम्बर 363 किस्म गैर मुमकीन रास्ता पर अतिक्रमी मानते हुये रास्ते को खुलवाने के आदेश दिये है। अपीलान्टस का प्रकरण में अहम तर्क यह रहा है कि मौके पर सड़क बनी हुई है जो आवागमन हेतु चालु है जो वैकल्पिक रास्ते के रूप में काम आ रही है। उक्त सड़क कुछ दुरी तक मौके पर रिकार्ड में दर्ज रास्ते से अलग खातेदारी के खेतों मे बनी हुई है। अदालत मातहत के रिकार्ड उपलब्ध दस्तावेजों तथा रिपार्ट से अपीलान्टस के तर्क सही प्रतीत होते है। अतः अपील अपीलान्टस स्वीकार की जाकर अदालत मातहत के आदेश दिनांक 13.10.2025 को निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण निर्देश के साथ रिमाण्ड किया जाता है कि अदालत मातहत मौके पर आवागमन की स्थिति, उपखण्ड अधिकारी के न्यायालय में लम्बि वाद तथा अन्य तथ्यों को ध्यान में रखकर उभय पक्ष को पुनः सुनकर नियमानुसार पुनः निर्णय पारित करें। अपील स्वीकार होने की स्थिति में प्रार्थना पत्र स्थगन के संबंध में अलग से आदेश पारित किये जाने की आवश्यकता नहीं है। रिकार्ड मातहत निर्णय की प्रति सहित प्रेषित हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो एवं बाद तरतीब तकमील दाखिल दफतर हो।

आदेश आज दिनांक 16.03.2026 को मेरे द्वारा टंकित कराया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ. अरूण गर्ग)
जिला कलक्टर, झुंझुनूं
झुंझुनू